निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 140/2019 दिनांक : 07.10.2020

अनवान

नाथू लाल पिता नंदलाल कुलगी वयस्क निवासी भूतखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ

.... वादी

|| बनाम ||

1. रामा पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
2. देव जी पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
3. कंकू पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा आराजी , घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188, रा0का0अधि0

उपस्थित –श्री मोहम्मद रईस वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **88, 188,** के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :

1. यह कि ग्राम गिदाखेडा पटवार हल्का मण्डफिया तहसील भदेसर की खाता संख्या 169 में अंकित आराजी नम्बर 202 रकबा 1.86 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी ने तत्काली खातेदारी प्रतिवादीगण के 1/2 हक हिस्से में से 22/186 वां हक हिस्सा (रकबा 0.22 हैक्टैयर)जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.07.2016 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया ओर उक्त खरीद 'शुदा आराजीयात जरिये ना0क0 संख्या 96 दिनांक 20.09.2018 को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई इस तरह वादी खरीद दिनांक से ही उक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक काबिज [illegible] करता चला आ रहा है ।
2. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात खरीद कर कब्जा प्राप्त किया लेकिन आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जि[illegible]का न्यायालय द्वारा [illegible]डा कर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

जाने से प्रतिवादीगण के नाम आराजी नमबर 202 रकबा 1.48 हैक्टेयर दर्ज की गई जिसमें वादी अपनी खरीदशुदा आराजीयात आ0न0 202/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि को वादी की खातेदारी की घोषित की जाकर वादी को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे ।

3. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से आराजी नमबर 202 रकबा 1.86 हैक्टेयर दर्ज की गइ जिसमें से वादी अपनी खरीदशुदा आराजीयात आराजी नमबर 202 मे से 22/186 वां हक हिस्सा यानि कि 0.22 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया लेकिन राजस्व रेकार्ड में आज भी प्रतिवादीगण ने अपना बंटवाडा करा जिसके आराजी नम्बर 202/1 रकबा 1.48 हैक्टेयर अपने नाम दज्र करवा वादी का ाम विलोपित करा दिया इसलिए वादी को प्रतिवादीगण आराजीयात से बेदखल कर अन्य को रहन बय बक्षीस करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे िकवह वादी को उसके द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात से बेदखल कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें एवं अन्य को रहन बह बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील नहीं करें इस हेतु प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रचलित किये जाने का हुकुम फरमावें ।

4. यह कि वादकारण दिनांक 28.5.2019 को को नकले प्राप्त करने पर उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी होने से पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गइ ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

1. पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 29.7.2016 श्री रामा, देवाजी, कंकू पिताचेना लुहार द्वारा नाथू लाल पिता नन्दलाल कुलमी के पक्ष में निष्पादित प्रदर्श-1
2. नकल जमाबन्दी मौजा गिदारखेड़ा खाता संख्या 169 संवत् 2072-2075 प्रदर्श-2(तीन पेज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

3. गवाह शपथ पत्र नाथूलाल पिता नन्दलाल कुलमी वयस्क निवासी भूतखेडा

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता वादी ने वादवर्णित तथ्यों को दौहराया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रदर्श–1 पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 29.7.2016 तादादी रूप्ये 170,000/– हजार रूप्ये के माध्यम से श्री रामा , देवजी , कंकू पिता चेना लुहार प्रथम पक्ष खातेदारान् मौजा गिदाखेडा प.ह. मण्डफिया की आराजी नमबर 202 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर भूमि द्वितीय पक्ष नाथू लाल पिता नन्दलाल कुलमी को विकीत की जाना प्रमाणित है जिसका ना0क0 संख्या 96 दिनांक 20.09.16 से वादी के खातेदारी में 22/186 (रकबा 0.22 हैक्टैयर) दर्ज हुई जो कि प्रदर्श–2 से प्रमाणित है । किन्तु तत्कालीन खातेदारान् द्वारा न्यायालय से विभाजन डिकी की दाद प्राप्त करने के माध्यम से दाद प्राप्त कर ली जाने से डिकी की पालना में वादी द्वारा 0.22 हैक्टेयर भूमि पुनः मुल खातेदारान् के नाम दर्ज हो गई है तथा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया गया जो वादी पुनः राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये जाने की अधिकारी है अतः वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि मौजा गिदाखेडा की आराजी नम्बर 202 रकबा 1.86 हेक्टेयर बाद विभाजन के आराजी नम्बर 202/1 रकबा 1.48 हैक्टेयर वादी द्वारा पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 29.07.2016 द्वारा खरीद किया रकबा 0.22 हैक्टैयर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता हे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है वादी के खातदारी में दर्ज होने वाले 0.22 हैक्टैयर भूमि को दिगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित [illegible] गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्या0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय—उपखण्ड अधिकारी, मुकाम—भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास — सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

नाथू लाल पिता नंदलाल कुलमी वयस्क निवासी भूतखेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ

.... वादी

|| बनाम ||

1. रामा पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
2. देव जी पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
3. कंकू पिता चेना लौहार वयस्क निवासी गिदाखेडा तहसील भदेसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा आराजी , घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, रा0का0अधि0

प्रकरण सं0 140/2019

वादीया की और से वकील श्री मोहम्मद रईस एवं प्रतिवादीगण की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 07.10.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि मौजा गिदाखेडा की आराजी नम्बर 202 रकबा 1.86 हेक्टेयर बाद विभाजन के आराजी नम्बर 202/1 रकबा 1.48 हैक्टेयर वादी द्वारा पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 29.07.2016 द्वारा खरीद किया रकबा 0.22 हैक्टैयर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता हे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है वादी के खातदारी में दर्ज होने वाले 0.22 हैक्टैयर भूमि को दिगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

यह आज दिनांक 07—10—20[illegible] को [illegible]ी पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला—चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner